

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी / अपीलान्त

बनाम


अप्रार्थी / रेस्पॉन्डेंट

श्री मोहनलाल देशप्रेमी पुत्र श्री त्रिवेणीकांत  
निवासी मु.पो. पाडीव  
तहसील सिरौही  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 36 वर्ष 2026

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	<p>अपीलान्त ने यह प्रथम अपील रेस्पॉन्डेंट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को एक आवेदन दिनांक 29.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/3194 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की आदेशिका की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलान्त द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलान्त की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को एक आवेदन दिनांक 29.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्यालय जिला कलक्टर सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/3194 दिनांक 15.07.2025 के द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की आदेशिका की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलान्त द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलान्त को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	